सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

No.IV-18011/1/2013-Prov.I 461
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
P.M. Division

26, Mansingh Road, Jaisalmer House,
New Delhi, dated 27th February, 2014.

To

Shri Sonu Singh,
Gram- Sahijana Road,
Near Sahijana Mill,
Post- Gadwa,
Gadwa (Jharkhand)-822114

**Subject: Information sought by shri Sonu Singh under the Right to Information Act, 2005- Regarding.**

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 29-11-2013 received by this Division on 30-01-2014 through CS Division, MHA on the subject mentioned above and to say that the undersigned CPIO is not concerned with the subject matter.

2. Smt. Veena Kumari Meena, Joint Secretary (PM) MHA, Jaisalmer House, 26, Mansingh Road, New Delhi is the Appellate Authority in respect of P.M. Division.

Yours faithfully,

(S. K. Jain)
Director (Prov) & CPIO
Tele. No. 23386191

Copy to:

1. Sh. K. Muralidharan, Dir(CSF-II), MHA w.r.t. their letter No. IV-/16015/17/2011-/CSR-II dated 28-01-2014.

O/C

5804/RTI/2011
9/12

2603/RTI/CR
2011

# सूचना का अधिकार आवेदन

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत)

प्रेषक,

दिनांक 29.11.13

सोनू सिंह,
ग्राम – सहीजना रोड, नजदीक सहिजना मील,
पो0 + जिला – गढ़वा,
झारखण्ड – 822114

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी,
केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत उपबन्धित प्रावधानों के तहत मांगे गए विषयों से संबंधित सही एवं अपेक्षित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपरोक्त विषयक निवेदन करना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन उपबन्धित संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में मांगे गए विषयों से संबंधित वांछित सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ अधोहस्ताक्षरी को अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की संवैधानिक समयावधि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मांगी जा रही सूचना बिन्दु निम्नांकित हैं :-

DS (CS)
DoPT

01. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रभावी रुप से अनुपालन किए जाने हेतु माननीय भारत सरकार के उत्तरदायी स्तर से जारी निर्देशों व आदेशों की वांछित प्रति उपलब्ध करायी जाए।

02. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अबतक कितने ऐसे लोग हैं जो कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने के कारण हताहत हुए हैं। वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

03. यह कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षा व संरक्षण देने के निमित्त माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों की वांछित प्रति उपलब्ध कराई जाए।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रुप में निर्धारित ₹10/– रु0 की राशि का भुगतान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन उपबन्धित प्रावधानों के अनुरुप मूल रुप में सूचना का अधिकार आवेदन के साथ समर्पित किया जा रहा है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित सूचना बिन्दुओं से संबंधित वांछित एवं सही सूचना अभिप्रमाणित प्रमाणों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित 30 दिनों की समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे । सूचना उपलब्ध कराने के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना सूचना का अधिकार ( **फीस और लागत का विनियमन** नियम ) 2005 की धारा 4 के अनुरुप गणनित की जाए । साथ ही साथ पन्नो की संख्या को सूचना बिन्दुवार रुप से उल्लेखित किया जाए। निवेदन है कि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का विलोपन नहीं किया जाए।

सहयोग के लिए धन्यवाद

विश्वासभाजन

(सोनू सिंह)

(आवेदक)

स्थान गढ़वा / दिनांक 29.11.11

अनुलग्नक संलग्न :–

1. सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रुप में मूल्य रुपये ₹ 10 /– की राशि प्रावधानों के अनुकूल पोस्टल ऑर्डर संख्या 88E 118212 द्वारा मूल रुप में समर्पित।